प्रवासन संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु विभिन्न सुविधाएं

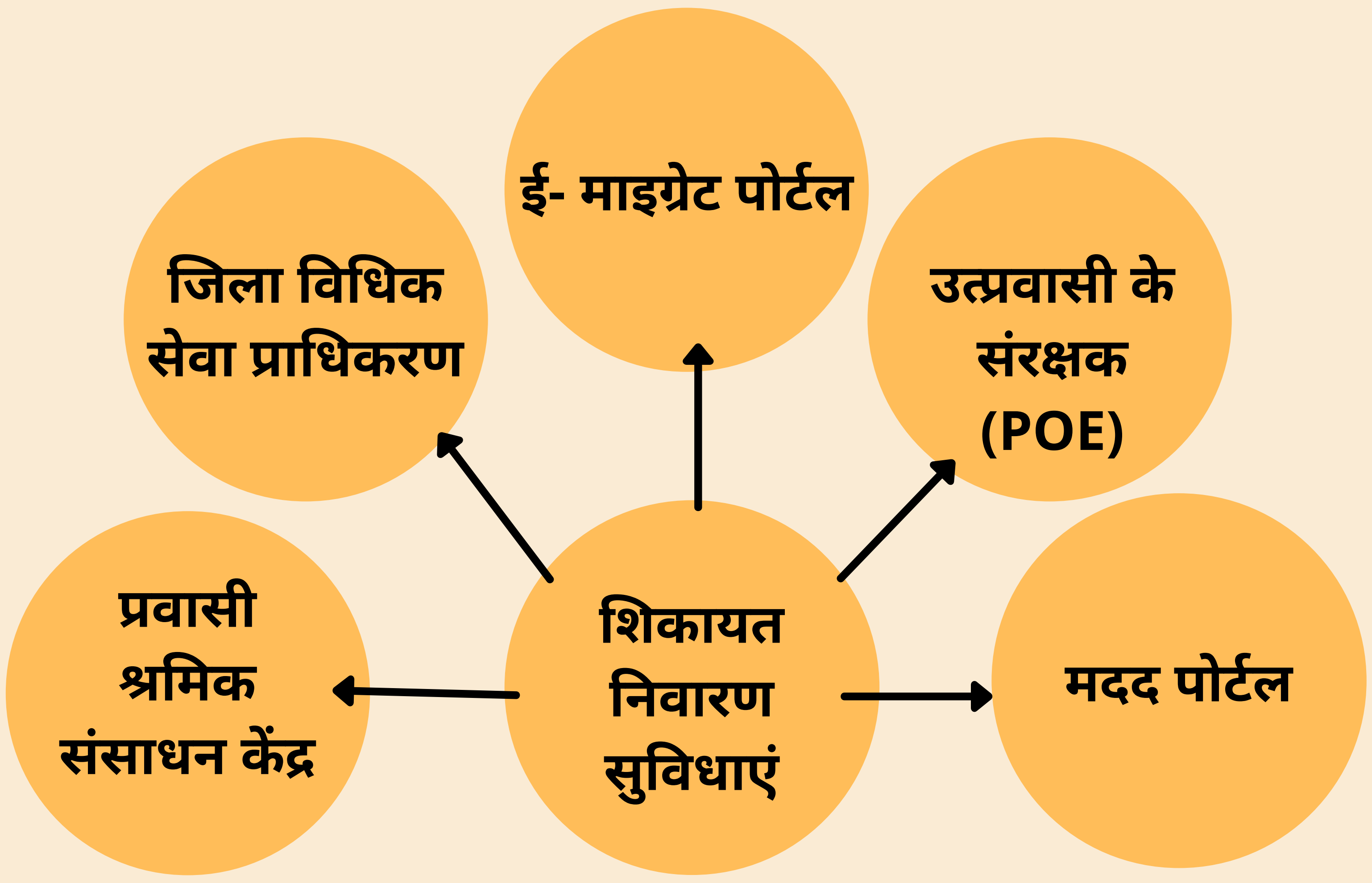

ई- माइग्रेट पोर्टल

- ☑ ई- माइग्रेट पोर्टल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक पहल हैं। इसकी वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर आप,
  - रोजगार के लिए विदेश जा रहे है तो अपना पंजीकरण (ECNR) करा सकते हैं।
  - विदेश में रोजगार हेतु लाइसेंस प्राप्त भर्ती- एजेंटो का नाम, पता, फ़ोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
  - विदेश में स्थित नियोक्ता या कंपनी की वैधता की जांच कर सकते हैं।
  - प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
  - अन्य किसी मार्गदर्शन या सहायता हेतु +911126885021 (प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, पीबीएसके) पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र

- ☑ विदेश मंत्रालय ने गुड़गांव में प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र की स्थापना की।
- ☑ यह एक हेल्पडेस्क सेवा जो 24 * 7 * 365 चलता हैं और 11 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मल्यालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ओडिया, कन्नड़, और बंगाली) में प्रश्नों का जवाब देता हैं।
- ☑ प्रवासी श्रमिक प्रवास सम्बंधित जानकारी के लिए 1800-11-3090 (टोल फ्री) एवं लैंडलाइन: 91-11 40503090, 26885021 (शुल्क सहित) पर संपर्क कर सकते हैं। यह प्रवासी संसाधन केंद्र (MRCs) से जुड़ा है।
- ☑ वेबसाइट:helpline.@mea.gov.in, helpline@owrc.in

मदद पोर्टल

- ☑ मदद पोर्टल विदेश मंत्रालय द्वारा शिकायत पंजीकरण और निवारण के लिए शुरू किया गया है। शिकायतें http://www.madad.gov.in/पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।
- ☑ पोर्टल पर शिकायत अनुभाग में शिकायत दर्ज करें, और आप शिकायत की स्थिति शिकायत संदर्भ संख्या द्वारा ट्रैक कर सकते हैं।
- ☑ आपके परिवार का सदस्य आपकी ओर से शिकायत भी प्रस्तुत कर सकता है।
- ☑ अपने परिवार को मदद पोर्टल के बारे में बताएं और अपने पासपोर्ट की कॉपी और विवरण अपने परिवार के साथ छोड़ दें।

उत्प्रवासी के संरक्षक (POE)

☑ विदेश मंत्रालय के तहत उत्प्रवासी के संरक्षक (POE) विदेशों में जाने वाले भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

☑ उत्प्रवासी के संरक्षक के भूमिकाएँ:

- पंजीकरण प्राधिकरण से रजिस्टर्ड एजेंट को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और उसे नवीनीकृत करना।
- विदेशी नियोक्ता (ए.फई) और परियोजना निर्यातक (पी.ई) को परमिट जारी करना।
- आकांक्षी प्रवासियों को सलाह और सहायता करना।
- यात्रा के दौरान, या विदेश रहने की अवधि के दौरान प्रवासियों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में पूछताछ करना और वापस लौटे हुए प्रवासियों की सहायता करना और उन्हें सलाह देना।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए- उत्प्रवासी के संरक्षक कार्यालय- नई दिल्ली

- पता: जैसलमेर हाउस, कैंटीन ब्लॉक, मानसिंह रोड, नई दिल्ली 110011, दूरभाष: 011-
- ☑ 23073908, 23382472

उत्प्रवासी के संरक्षक कार्यालय- राय बरेली (वर्तमान में लखनऊ में भी काम कर रहे हैं)

- पता: पासपोर्ट भवन, तीसरी मंज़िल, विपिन खंड गोमती नगर, लखनऊ- 226010, दूरभाष:
- ☑ 0535-2211122, 2211123

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

- ☑ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) गरीबों और अधिकारहीन लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। वे पूर्व-मुकदमेबाजी या मध्यस्थ के माध्यम से भी प्रवासियों को न्याय प्रदान कर सकते हैं।
- ☑ डीएलएसए जिले के हर सिविल कोर्ट में स्थित है और जिला जज इसका अध्यक्ष होता हैं।
- ☑ नि:शुल्क सहायता के रूप में किसी मुकदमे में पीड़ित व्यक्ति को बिना फीस के वकील की सेवाएं प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ दस्तावेजों की फोटोकॉपी आदि के लिए भी भुगतान नहीं करना पड़ता हैं।
- ☑ सीनियर सिविल जज की रैंक के न्यायधीश डीएलएसए के सचिव होते हैं।

सुरक्षित प्रवासन सम्बंधित जानकारी, प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए एम.आर.सी 9935482070 या टोल-फ्री नंबर 18005470206 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रवासन संसाधन केंद्र, कस्या, उत्तर प्रदेश
सपहा रोड, एचपी पेट्रोल पंप के पास, पकड़ी डीह मोड़, कस्या, कुशीनगर- 274402, उत्तर प्रदेश